UPJS010052072019

<u>न्यायालय विशेष न्यायाधीश (आव०वस्तु अधि०)/अपर सत्र न्यायाधीश, झाँसी।</u>

उपस्थितः–शिव कुमार तिवारी (उच्चतर न्यायिक सेवा)

जे०ओ० कोड–UP1646

विशेष वाद संख्या–1291/2019

सरकार बनाम अयाज उलहक।

धारा–135 विद्युत अधिनियम।

थाना–सीपरी बाजार, जिला–झाँसी।

अ०सं०–485/2018

<u>दिनांक–07–07–2026</u>

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभियुक्त **अयाज उलहक** पुत्र श्री सिराज उलहक, पता–465/3 नियर टण्डन गार्डन नं०–2, वर्मा हेल्थ क्लब वाली गली, रायगंज, थाना–सीपरी बाजार, जिला–झाँसी के विरूद्ध धारा–135 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। विद्युत विभाग द्वारा पत्रांक/प्रार्थनापत्र कागज संख्या–12ए इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त ने धारा–152 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत शमन शुल्क एवं राजस्व निर्धारण की धनराशि जमा कर दी है। वाद का निस्तारण करने में विद्युत विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही के निस्तारण में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री देवेश श्रीवास्तव द्वारा उपरोक्त पत्रांक को अग्रसारित किया गया है।

सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया गया।

प्रश्नगत प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध धारा–135 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है। कागज संख्या–12ए के अनुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा शमन शुल्क व राजस्व निर्धारण धनराशि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, वाणिज्यिक–प्रथम सुकुंवा–ढुकुवा कालोनी सिविल लाईन, झाँसी के कार्यालय में जमा करायी जा चुकी है। वाद का निस्तारण करने में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः आवेदक/अभियुक्त द्वारा शमन शुल्क एवं राजस्व की सम्पूर्ण धनराशि जमा कर देने के कारण विद्युत अधिनियम की धारा–152(2) के अनुसार उक्त अपराध का शमन हो गया है एवं उपरोक्त प्रकरण में आवेदक /अभियुक्त दोषमुक्त किये जाने योग्य है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त किये जाने योग्य है। तदनुसार, उपरोक्त पत्रांक के आधार पर वाद की कार्यवाही समाप्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

विद्युत विभाग का पत्रांक/प्रार्थनापत्र कागज संख्या–12ए स्वीकार किया जाता है। उभयपक्षों के मध्य शमन के आधार पर आवेदक/अभियुक्त **अयाज उलहक** पुत्र श्री सिराज उलहक, पता–465/3 नियर टण्डन गार्डन नं०–2, वर्मा हेल्थ क्लब वाली गली, रायगंज, थाना–सीपरी बाजार , जिला–झाँसी को दोषमुक्त किया जाता है। कागज संख्या–12ए के आधार पर वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार अभिसंचित हो ।

दिनांक–07.07.2026

(शिव कुमार तिवारी)

विशेष न्यायाधीश (आव०वस्तु अधि०)/

अपर सत्र न्यायाधीश, झाँसी।

(जे०ओ० कोड–1646)

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में उद्घघोषित किया गया ।

दिनांक–07.07.2026

(शिव कुमार तिवारी)
विशेष न्यायाधीश (आव०वस्तु अधि०)/
अपर सत्र न्यायाधीश, झाँसी।
(जे०ओ० कोड–1646)